

फाइल संख्या: आरसीबी/हिंदी पत्राचार/राजभाषा

दिनांक: 19.02.2024

## परिपत्र / CIRCULAR

**विषय: राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम-5 का प्रभावी अनुपालन।**  
**Subject: Effective Compliance of Rule-5 of OL Rules, 1976 (As amended, 1987)**


राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालय से हिंदी में ही दिए जाएं। राजभाषा नियम का अनुपालन न करना गंभीर विषय है। इसलिए, उक्त नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है। हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर का मसौदा तैयार करने वाला अधिकारी/कर्मचारी यह ध्यान रखें कि उस पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जाता है।

According to Rule-5 of Official Language Rules, 1976 (As amended, 1987), communications received in Hindi from a Central Government office should be replied in Hindi. Non-compliance of the Rule is a serious matter. Therefore, it is directed to ensure compliance of the said Rule. The Officer/Employee drafting the reply to the communications received in Hindi should ensure before signing that the reply is given in Hindi language.

प्रत्येक अनुभाग में हिंदी में प्राप्त पत्रादि के रिकार्ड के लिए अलग से रजिस्टर रखा जा सकता है जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे लिखे जा सकते हैं जो तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सहायक होंगे:

A separate register may be maintained in each section for keeping the record of communications received in Hindi with details as follows which will be helpful in submitting Timahi Pragati Report:

क्रम सं.	पत्र की संदर्भ संख्या व तिथि	किससे प्राप्त हुआ	किससे मार्क किया गया	उत्तर देना अपेक्षित है अथवा केवल सूचनार्थ	उत्तर किस भाषा में दिया गया	हस्ताक्षरकर्ता का नाम	फाइल संख्या व तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

  
(डॉ. सुदीप भार)  
प्रशासन नियंत्रक

**सभी अनुभाग प्रमुख**

**प्रतिलिपि:**

1. अधिष्ठाता, अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति
2. हिंदी नोडल अधिकारी
3. सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।